

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
क्रमांक :- एफ. 3(डी-228/86) अलेसे-11/16754-58 दिनांक :- 2-10-13

कार्यालय आदेश

श्री दयाराम पुनियां, लेखाकार वर्तमान पदस्थापन कार्यालय जिला कलेक्टर, (ई गवर्नेस) चूरु के अवकाश आवेदन पत्र के आधार पर दिनांक 30.04.2013 से 03.05.2013 तक चार दिन का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही दिनांक 04.05.2013 का शनिवार एवं 05.05.2013 का रविवार का पश्चातवर्ती राजपत्रित अवकाश उपभोग करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। संबंधित कार्यालयध्यक्ष इस स्वीकृत अवकाश का श्री पुनिया, लेखाकार की सेवापुस्तिका में प्रविष्टि करावें। अति जिला कलेक्टर चूरु ने कार्यालय पत्रांक 1004 दिनांक 24.09.2013 से अवगत कराया है कि श्री पुनियां की सेवापुस्तिका के अनुसार उनके उपार्जित अवकाश खाते 238 दिवसीय उपार्जित अवकाश शेष है।

श्री पुनियां, लेखाकार की अवकाश अवधि एवं उसके पश्चात् दिनांक 30.05.2013 तक की आदेशों की प्रतीक्षा अवधि को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7(8)(बी)(III) के अन्तर्गत वित्त विभाग के पत्रांक एफ.2(16) वित्त/राजस्व/2004 दिनांक 23.07.2013 के द्वारा नियमित कर वेतन आहरण कर भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।


(वीरबाला जोशी)
निदेशक

क्रमांक :- एफ. 3 (क) (जे-21/88) अलेसे-11/16754-58 दिनांक :- 3-10-13
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- 1 जिला कलेक्टर, ई गवर्नेस, चूरु
- 2 ए.सी.पी (उप निदेशक) आई.टी. वित्त भवन जयपुर को आदेश वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 3 श्री दयाराम पुनियां, लेखाकार कार्यालय जिला कलेक्टर, ई गवर्नेस, चूरु (लिंक नं० 3431)
- 4 निजी सहायक निदेशक महोदय
- 5 निजी/गार्ड फाईल


(क.एम. मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)